

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ 28(1)पंरावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./से.नि./2016/

जयपुर,दिनांक:

4702

18/11/16

-: संशोधन आदेश :-

विभागीय आदेश क्रमांक 2674 दिनांक 23.06.2016 की शर्त संख्या (2) को निम्नानुसार पढ़ा जावे:-

(2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


आज्ञा से,



(राजेन्द्र शंखर मक्कड)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बाडमेर, सवाईमाधोपुर, करौली, पाली, राजसमंद
3. विकास अधिकारी, पं.स. टोडाभीम (करौली) को उनके पत्र क्रमांक 6062 दिनांक 13.10.2016 के क्रम में।
4. विकास अधिकारी, पं.स. कल्याणपुर (बाडमेर)/बौली (स.मा.)/मा.जक्शन (पाली)/भीम (राजसमंद)
5. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड कराने हेतु।
6. आदेश / रक्षित पत्रावली



अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव